

PS09/18

Dt.09-04-2021

उभय पक्षों की हाजिरी है। अभिलेख आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

आदेश

मुदई और आवेदक की ओर से आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 बचब आवेदन दाखिल कर कथित किया गया कि मुदालहगण विवादित जमीन के कुछ भाग को पक्के मकान बनाने में लगे हुए हैं तथा यदि मुदालह द्वारा पक्का मकान बना लिया जाता है तो मुदई को आजन्म नुकसानी होगी तथा मुदई को प्राइमा फेसी केस हासिल हैं एवं बायलेंस ऑफ कापरेशन भी मुदई के पक्ष में है इसलिए विवादित जमीन खाता 185 खेसरा 917 खाता 98 खेसरा 794 खाता 187 खेसरा 915 व 916 प्राप्त कब्जा व पक्का मकान बनाने से रोक देने की मांग की गयी जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 15.07.19 को दाखिल कर कथित किया गया कि मुदईया मुदालह को परेशान करने की नीयत से यह आवेदन दाखिल किया है तथा यह भी कथित किया कि सर्वेहाल में मुदईया को खाता न0 187 की जमीन से कोई सरोकार नहीं है एवं खाता न0 185 खेसरा 917 रकवा 3 कट्टा देने के लिए एक वर्ष रामायाद देवी से खरीद किये थे जिसका अंश एक कट्टा है और बाकी दो कट्टा अलग-अलग मुदालह के खन्दान से बयनामा से हासिल है जिसको मुदई ने छिपा लिया है एवं खेसरा न0 794 भूखल की खास एराजी थी तथा मुदईया ने गलत ढंग से खेसरा न0 917, 794, 915 व 916 की एराजी को सम्मिलित कर लिया है तथा विवादित जमीन से मुदई का कोई सरोकार नहीं रहा एवं खेसरा न0 917, 794, 915 व 916 में पहले से मकान कायम है। मुदालहम द्वारा दूसरा मकान भी बनवाए हैं जिसको मुदईया ने छिपा लिया है जिससे मुदई को कोई प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन नहीं प्राप्त है और न ही कोर्ट अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है।

बहस के अनुक्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथित किया गया कि मुदालहगण विवादित जमीन पर पक्का मकान बनाना चाहते हैं जिससे मुदई को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा अधिवक्ता आयुक्त ने भी मकान निर्माण करने के संबंध में अपना प्रतिवदेन दाखिल किया है इसलिए निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर कच्चा व पक्का मकान बनाने से रोकने की मांग की गयी जबकि मुदालह(विपक्षी की ओर से) कथित किया गया कि विवादित वाला खेसरा न0 917 में है जिसका कुछ भाग मुदई द्वारा भी खरीद कर मकान बना लिया गया है एवं कुछ भाग मुदालह द्वारा भी खरीद किया गया है जिस पर मकान लगभग बन चुका है तथा प्रतिवादीगण का यह कथित किया कि खरीदगी जमीन है इसलिए वादी को कोई प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन प्राप्त नहीं है और न ही कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं है। आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन

PS09/18

Dt.09-04-2021

में कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है इसलिए आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने की मांग की गयी।

दोनों पक्षों को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के अवलोकन किया तथा अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा यह वाद विवादित जमीन के वाद पत्र के मद न0 1 में वर्णित है, के 2/3 हिस्से के लिए लाया गया है जिसमें से कुछ भाग पर प्रतिवादीगण का कच्चा व पक्का मकान बनाने से रोकने के लिए लाया गया है जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में विवादग्रस्त एराजी के संबंध में कोई मूल या सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है अतः न्यायहित में आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारणय वादी की ओर से प्रस्तुत निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 31.05.2019 को खारिज किया जाता है। वास्ते दिनांक 23.04.21 89 सी.पी.सी के अनुपालन हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश

अरेराज, पूर्वी चम्पारण।